1. एमसीए 21 प्रोजेक्ट

(MCA 21 Project)

ई-फाइलिंग को सक्षम करने के लिये निगमित मामलों के मंगलतायक रह एक अभीनव परियोजना अन्तर्गत है। यह परियोजना एक नई उपयोगी कंपनी के निर्देशन से शुरू होने से रजिस्ट्रायर ऑफ कंपनीज (ROC) द्वारा सभी सेवा को कवर करती है। यह परियोजना कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नई कंपनियों के संस्थान, विभिन्न रिटर्न और कैर्यालय दस्तावेज़ के पंजीकरण सहित ई-सेवाओं को पदार्थ करनी। यह प्रणली वैधिक दस्तावेज़ जैसे सह्याद्रों के ज्ञापन, संधि से लेख, निगमन का प्रमाण पत्र आदि के फाइलिंग और उपयोग में सक्षम हैं।

यह परियोजना सभी प्रमुख विषयों और जनता के हित में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा, विविध प्रतीकों को बिना प्राप्तवार्ता के अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं है। और मंगलतायक के साथ बातचीत करने के लिये एमसीए 21 वर्ग का उपयोग अपने कार्यालय या घर से कर सकते हैं। मामलों के मंगलतायक की सेवाएं एमसीए 21 की एंटरनेट के साथ ई-फाइलिंग सुलभ हो जाएगी। फाइलिंग के लिए स्वतः से डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है एमसीए 21 वर्ग का उपयोग करने के लिए एक ऐसे कंप्यूटर प्रिंटर, विडियो 2000/XP / टेपेज / 7, इंटरनेट एक्सक्लसर ए.सी.एक्स 8.0 संस्करण, एडोब एक्सफोर्मेट राइडर 8.0 से संस्करण 7.5 और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ होगा।

एमसीए 21 केंद्र के रूप में, तीन सौ स्वतंत्र संस्थाओं में जाने की जरूरत है।

2. एमसीए की स्थापना

(Set Up of MCA)

एमसीए तीन सौ स्वतंत्र संस्थाओं में स्थापित हैं

- नई दिल्ली में मुख्यालय
- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, अहमदाबाद और श्रीहस्ताक्षर के क्षेत्रीय निदेशकों (RD)
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनियों के रजिस्ट्रायर (ROC)

© The Institute of Chartered Accountants of India
एमसीए मुख्यालय ऐसे मामलों को समाप्त करने का निर्देशक कार्य करता है जिनसे नागरिक संबंधित कार्यों के लिए भारत सरकार (शासन सरकार) के मंजूरी आवश्यक हो। शासन निदेशक आरोपी के काम को निर्देशित करता है और भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए मामलों को संबंधित करता है, जबकि आरोपी कार्यालय बड़े पैमाने पर नागरिकों के कार्यों का सामना करते हैं।

dेश में कार्यालय विभिन्न उच्च न्यायालयों से जुड़ी आदेशाधीकारिक परिसमाप्त (ओएल) एमसीए के सम्मान प्रशासनिक नियन्त्रण के अधिन हैं। दिल्ली में इसके मुख्यालय में दो निर्माण और जांच और अन्य निदेशात्मक साझेदारों को साझा की निदेशक भी शामिल हैं।

3. एमसीए 21 कार्यक्रम

(MCA 21 Program)

कॉपीराइट मामलों के मुख्यालय (MCA) भारत सरकार (GoI) एमसीए 21 कार्यक्रम को एमसीए सेवाओं तक आसानी से और सुरक्षित पहुंच के लिए ‘शुरु किया, जो व्यवसायों और नागरिकों के लिए सबसे उपयुक्त है।

कार्यक्रम के लक्ष्यों को हिताधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है:

- व्यवसाय को किसी कंपनी को वंजीकृत करने और वैधानिक दस्तावेजों को शीघ्रता से और आसानी से लिखने के लिए सक्षम किया गया है
- अवृत्ती को प्रारंभिक रिकॉर्ड्स और प्रभावी शिकायतों के निमंत्रण के लिए आसान पहुंच प्रदान करने के लिए
- अपने प्राइवेट कीमतों संबंधी सेवाओं के लिये
- वित्तीय संस्थाओं को आसानी से शुल्क पंजीकरण और सत्यापन के लिए
- कर्मचारियों को प्रारंभिक कामों और कार्यालय गवर्नन्स के स्किक्शन और प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए

MCA 21 के व्यवसायों को किसी भी समय और कहाँ भी सेवाएं प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है। इस देश में कुछ कार्यक्रम शुरू किए जाएं और इसकी परियोजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में शुरू किया गया था कि वह व्यवसायों के लिए एक संयोजन उपर्युक्त उपलब्धियों से संबंधित कर्मचारी सेवाओं के डिजाइन और डिलिवरी में एक-एक पेश करने के लिए, एक स्वतंत्र व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित और देश को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है।

4. कार्यक्रम के क्षेत्र

(Program Scope)

एमसीए 21 कार्यक्रम सभी हिताधारकों को भी समय कहां भी इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जिसमें की गति और निरन्तरता प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं:
प्रमुख लाभ

(/key benefits)

एमसीई 21 विभिन्न हिताधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। एमसीई 21 प्रोजेक्ट के मुख्य लाभ हैं:

- कंपनियों के शीघ्र निगमन
- मर्म-विवरणी कार्यान्वयन और आसान दाखिल करना।
- वेतन अनुपालन प्रबंधन
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से कूल पारदर्शिता
- ग्राहक केंद्रित तृप्तिकोण
- फॉर्म/रिटर्न्स की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक प्रमाण पत्र
- कॉम्प्यूटर परिचालन की एक केंद्रीयकृत डेटाबेस रिपोजिटरी का निर्माण करना
- बदले हुए सेवा रार की पूर्ति
- कंपनियों के सार्वजनिक दर्शकों का निरीक्षण कभी भी कहीं से भी करना
- पत्रिकाओं के साथ-साथ किसी भी शुल्क का साथपात कभी कहीं से भी करना
- निवेदक दिशाकारों का निवारण समय पर
- एमसीई कर्मचारियों के लिए निगमन और परीक्षण के लिए अधिक समय की उपलब्धता
### 6. ई—फार्म को सूची
कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विहित ई—फार्म के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विहित ई—फार्म की सूची

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>ई—फार्म (कंपनी अधिनियम, 2013)</th>
<th>अनुरूप ई—फार्म (कंपनी अधिनियम, 1956)</th>
<th>कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार फार्म का उद्देश्य</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>आईएनसी(INC)—1</td>
<td>1A</td>
<td>नाम के आरक्षण के लिये आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>आईएनसी(INC)—2</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>निगमन और नामांकन के लिए फार्म (कंपनी के एक व्यक्ति)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>आईएनसी(INC)—3</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>कंपनी के एक व्यक्ति की नामांकित सहमति के लिए फार्म</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>आईएनसी(INC)—4</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>कंपनी के एक व्यक्ति के सदस्यनामिती में परिवर्तन के लिए फार्म</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>आईएनसी(INC)—5</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>शुरुआत में एक व्यक्ति कंपनी की अधिक से अधिक की सुधार देने का फार्म</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>आईएनसी(INC)—6</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>परिवर्तन के लिए आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>आईएनसी(INC)—7</td>
<td>1</td>
<td>कंपनी के निगमन के लिए आवेदन (एक कंपनी के व्यक्ति के अलावा )</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>आईएनसी(INC)—18</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>किसी भी प्रकार के कंपनी में धारा 8 कंपनी के परिवर्तन के लिए प्रादेशिक निदेशक के आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>आईएनसी(INC)—20</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>धारा 8 के तहत जारी लाइसेंस के रजिस्ट्रेट के निर्णय या अध्ययन की सुधार</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>आईएनसी(INC)—21</td>
<td>19</td>
<td>व्यवसाय के शुरुआत से पहले घोषणा</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>आईएनसी(INC)—22</td>
<td>18</td>
<td>पंजीकृत कार्यालय और स्वायत्त की स्थिति में बदलाव की स्थिति की सुधार</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>आईएनसी(INC)—23</td>
<td>1AD, 24AAA</td>
<td>रजिस्ट्रेट कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने या राज्य के भीतर एक रजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से दूसरे राज्य पर जाने की मंजूरी के लिए प्रादेशिक निदेशक का आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>आईएनसी(INC)—24</td>
<td>1B</td>
<td>नाम बदलने के लिए कंड्र संस्कर के अनुमोदन के लिए आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>आईएनसी(INC)—27</td>
<td>1B, 62</td>
<td>सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी या निजी कंपनी में सार्वजनिक कंपनी में प्रवेश के लिए आवेदन</td>
</tr>
</tbody>
</table>

© The Institute of Chartered Accountants of India
<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>तालिका (INC)–28</th>
<th>परिवर्तन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td>पीएचएस(PAS)–3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>एसएच(SH)–7</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>एसएच(SH)–</td>
<td>नए फार्म</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>एसएच(SH)–</td>
<td>4C</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>सीएचजी(CHG)–1</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>सीएचजी(CHG)–4</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>सीएचजी(CHG)–6</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>सीएचजी(CHG)–9</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>एमजीटी–6 (MGT–6)</td>
<td>22B</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>एमजीटी–14 (MGT–14)</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>डीआईआर (DIR–3)</td>
<td>DIN1</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>डीआईआर (DIR–6)</td>
<td>DIN4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रतिमूलिकरण और वित्तीय आर्थिक मामलों के पुनरीर्गमन और प्रतिमूलिक हित अभिनियम, 2002 (Securitization and Reconstruction of Financial Assers and Enforcement of Securities Interesst Act, 2002(SARFAESI)) के प्रवर्तन के संबंध में सशक्तिकरण और पुनर्रीतिकरण के मामले में निर्देश, प्रतिमूलिकरण के लिए आवेदन (प्रतिज्ञापन से संबंधित लोगों के अलावा)
<table>
<thead>
<tr>
<th>सूची</th>
<th>नए फार्म</th>
<th>रजिस्ट्रेशन को एक निदेशक के इस्तीफे की सूचना</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28</td>
<td>दीआईआर (DIR–11)</td>
<td>32, 32AD निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और उनके बीच के बदलाव के विवरण</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>दीआईआर (DIR–12)</td>
<td>25C प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति की विवरणी</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>एमआर–1 (MR–1)</td>
<td>25A प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति या पुरानीनियुक्ति और पारिस्थितिक या प्रबंध निदेशक को अंतरित करने अथवा सुधार के लिए पारिस्थितिक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक और कमियन या निदेशकों को पारिस्थितिक के लिए सुधार पर निरस्त किए जाने की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को आवेदन का फार्म</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>एमआर–1 (MR–2)</td>
<td>37,39 घरा 366 के तहत पत्तिकरण के लिए कंपनी द्वारा आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>वुरार्सी–1 (URC–1)</td>
<td>44 विदेशी कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने की सूचना</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>एफसी–1 (FC–1)</td>
<td>49,52 विदेशी कंपनी द्वारा पत्तिकरण के लिए दर्ज किए दस्तावेजों में परिवर्तन की विवरणी</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>एफसी–2 (FC–2)</td>
<td>52 विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित भारत के सभी प्रमुख स्थानों की सूची</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>एफसी–3 (FC–3)</td>
<td>PTII वार्षिक विवरणी</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>एफसी–4 (FC–4)</td>
<td>61 कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ एक आवेदन पत्र दर्ज करने का फार्म</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>जीएनएल–1 (GNL–1)</td>
<td>62 रजिस्ट्रार कंपनियों के साथ दस्तावेज ​​जमा करने का फार्म</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>जीएनएल–2 (GNL–2)</td>
<td>1AA प्रभावित व्यक्ति (या) या निदेशक (निदेशकों) या निर्दिष्ट घरा 2(60) के प्रयोजन के लिए विवरण</td>
</tr>
</tbody>
</table>

© The Institute of Chartered Accountants of India
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>एडीजे (ADJ)</th>
<th>नए फार्म</th>
<th>अपील का ज्ञापन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>41</td>
<td>एमएससी–1 (MSC–1)</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए आरोपियों (ROC) के लिए आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>एमएससी–3 (MSC–3)</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>निष्क्रिय कंपनीयों की वापसी</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>एमएससी–4 (MSC–4)</td>
<td>नए फार्म</td>
<td>सक्रिय कंपनी की स्थिति की माण के लिए आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>अर्जित–1 (RD–1)</td>
<td>24A</td>
<td>प्रादेशिक निदेशक कोआवेदन दाखिल करने का फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>अर्जित–2 (RD–2)</td>
<td>24AAA</td>
<td>केंद्र सरकार (प्रादेशिक निदेशक) को आवेदन देने के लिए फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>सैजी–1</td>
<td>65</td>
<td>केंद्र सरकार के साथ आवेदन पत्र या दस्तावेज को दर्ज करने का फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td></td>
<td>66</td>
<td>रजिस्ट्रार के साथ अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td></td>
<td>5INV</td>
<td>विना दाखिल का और अदेश से का निर्देशन</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td></td>
<td>14LLP</td>
<td>सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में कंपनी के परिवर्तन की कंपनियों के रजिस्ट्रार को सूचित करने का फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td></td>
<td>20B</td>
<td>रजिस्ट्रार के साथ शेयर पूँजी रखनेवाली कंपनी द्वारा वार्षिक रिटर्न दर्ज करने का फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td></td>
<td>21A</td>
<td>कंपनी के शेयर पूँजी के लिए वार्षिकविविधता के विवरण</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td></td>
<td>23AC</td>
<td>रजिस्ट्रार के साथ बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेज दर्ज करने का फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td></td>
<td>24ACA</td>
<td>रजिस्ट्रार के साथ लाभ और हानि खाता दर्ज करने के लिए फॉर्म और अन्य दस्तावेज</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>23ACA–XBRL</td>
<td>23ACA–XBRL</td>
<td>रजिस्ट्रार के साथ लाभ और हानि खाते के संबंध में एक्सबीएआरएल (XBRL) दस्तावेज दर्ज करने का और अन्य दस्तावेज के लिए फॉर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>23AC–XBRL</td>
<td>23AC–XBRL</td>
<td>रजिस्ट्रार के साथ बैलेंस शीट के संबंध में एक्सबीएआरएल दस्तावेज दर्ज करने</td>
</tr>
<tr>
<td>संख्या</td>
<td>पृष्ठ</td>
<td>फॉर्म का नाम</td>
<td>विवरण</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>23C</td>
<td>लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को आवेदन पत्र का फॉर्म</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>23D</td>
<td>केंद्र सरकार को लागत लेखा परीक्षक की सूचना के लिए फॉर्म</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>35A</td>
<td>योजना या अनुबंध के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी शेयरों के स्थानांतरण या किसी भी ट्रांसफर में शेयरों की शेयरी कंपनी के लिए फॉर्म</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>A–XBRL</td>
<td>केंद्र सरकार के साथ अन्य दस्तावेजों के संबंध में आवेदन पत्र या एक्सबीएसएल दस्तावेज दर्ज करने का फॉर्म</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>FTE</td>
<td>फार्ट ट्रैक एग्जेंट (FTE) मोड के महम कंपनी का नाम बंद करने के लिए आवेदन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>I-XBRL</td>
<td>लागत लेखा परीक्षा पिपॉर्ट के संबंध में एक्सबीएसएल दस्तावेज दर्ज करने और केंद्र सरकार के साथ अन्य दस्तावेज के लिए फॉर्म</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>वापसी</td>
<td>फीस के धन वापसी का अनुरोध करने के लिए आवेदन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>बैंक खाता</td>
<td>बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवेदन के रूप में उपयोगकर्ता को किसी भी भौतिक आवेदन फॉर्म को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>निवेशक शिकायत फॉर्म</td>
<td>निवेशक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फॉर्म</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>67AD.</td>
<td>स्पष्टीकरण</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई—फॉर्मों को शुरू करने के बारे में आसान समझने के लिए और इसके तहत बनाए गए नियम, नए अधिनियम के तहत फॉर्म अभियोजन रूप से वर्णित अस्त्य—न्यूमासिक हैं। शुरूआती फॉर्म अध्याय के आधार पर दो या तिन अक्षरों के वर्णमाला के साथ शुरू किया जाता है, जिसके बाद फॉर्म का सीखियल नंबर होता है। यह फॉर्म के स्वरूप को परिभाषित करेगा और पहचानना आसान होगा।

निम्नलिखित तालिका एमसीए (MCA) द्वारा प्रदान किए गए फॉर्मों के अध्याय वाद नामकरण का सार है:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम संख्या</th>
<th>अध्याय संख्या</th>
<th>अध्याय का विवरण</th>
<th>फॉर्म नं I के साथ शुरू</th>
<th>टिप्पणियाँ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>II</td>
<td>कंपनी का निर्माण और और इसके बारे में मामला</td>
<td>INC</td>
<td>वर्णमाला संख्यात्मक संख्या के बाद</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>III</td>
<td>प्रारंभिक और प्रतिभुत का आंचल</td>
<td>PAS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>IV</td>
<td>शेयर पूंजी और अर्थ शर</td>
<td>SH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>V</td>
<td>कंपनियों द्वारा जन्मा की स्वीकृति</td>
<td>DPT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>VI</td>
<td>शुल्क</td>
<td>CHG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>VII</td>
<td>प्रबन्धन और प्रशासन</td>
<td>MGT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>VIII</td>
<td>लाभार्थी के किसी भी अनुमान की घोषणा</td>
<td>DIV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>IX</td>
<td>कंपनियों के तंत्र</td>
<td>AOC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>X</td>
<td>लेखा परिषद और लेखा परिक्रम का</td>
<td>ADT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>XI</td>
<td>नियंत्रण की नियुक्ति और अस्थायी</td>
<td>DIR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>XII</td>
<td>बोर्ड की बैठक और इसका अधिकार</td>
<td>MBP</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>XIII</td>
<td>कंपनियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक</td>
<td>MR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>XXI</td>
<td>इस अधिनियम के तत्त्व प्रतिकूल करने के लिए अधिकृत कंपनियों</td>
<td>URC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>XXII</td>
<td>भारत के बाहर निर्मित कंपनियों</td>
<td>FC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>XXIV</td>
<td>पंजीकरण कार्यालय और शुल्क</td>
<td>GNL</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>XXVI</td>
<td>निधि</td>
<td>NDH</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>XXVIII</td>
<td>विशेष न्यायालय</td>
<td>MAC</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>XXIX</td>
<td>अपील का ज्ञापन</td>
<td>ADJ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>XXIX</td>
<td>विविध</td>
<td>MSC</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>